तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] 229/2016	
28.9.22	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोडेंटस की [illegible] हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा [illegible] रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त [illegible] जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही बहस दिनाक......9.11.22...... को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
9.11.22	पत्रावली पेश। नकली अपीलाट एव अपीलाट स्वय को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया इसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	